5

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक / 2017 विविध सीधी III/ विविधा/सीधी/भू-27/2017/3368

श्रीमती लल्ली बसोर पत्नी श्री गणेश बसोर निवासी ग्राम बाकी तहसील सिहावल जिला सीधी म.प्र.

.... आवेदक

बनाम

1. मध्यप्रदेश शासन
2. श्री जमुना प्रसाद तनय सत्यप्रसाद तिवारी निवासी ग्राम बाकी तहसील सिहावल जिला सीधी म.प्र.

.... अनावेदकगण

18.9.17

C12 29.9.17

18/9/17

आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 152, 153 , सी.पी.सी. सहपठित धारा 32 म.प्र. भू राजस्व संहिता माननीय न्यायालय द्वारा प्रकरण क्रमांक 1379/2/13 में पारित आदेश दिनांक 24.04.2014 में सुधार करने बाबत।

महोदय,

निवेदन है कि :–

1. यहकि, आवेदिका द्वारा न्यायालय कलेक्टर ऑफ स्टाम्प जिला सीधी द्वारा प्रकरण क्रमांक 41/ बी– 103 / धारा 33/ 2012– 13 में पारित आदेश दिनांक 11.01.2013 के विरूद्व भारतीय स्टाम्प एक्ट की धारा 47 ए (4) की धारा 50 के तहत प्रस्तुत की गई थी।
2. यहकि, माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल में प्रकरण क्रमांक 1379/11/13 अपील पर दर्ज की गई। माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 24.04.2014 को आदेश पारित किया गया । पारित आदेश के पेज नं. 2 में प्रकरण क्रमांक 1379/11/ 13 की जगह निगरानी 607/तीन/ 10 टाइप हो गया है उक्त त्रुटि का सुधार किया जाना न्यायोचित होगा।

राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक तीन/विविध/सीधी/भू.रा./2017/3368

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभा' आदि के हस्ताक्षर
4–10–17	आवेदक के अधिवक्ता श्री आर0 एस0 सेंगर उपस्थित। उनके द्वारा आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 152, 153 सी.पी.सी. सहपठित धारा 32 म0प्र0 भू–राजस्व संहिता के अन्तर्गत प्रस्तुत कर अनुरोध किया गया है कि प्रकरण कमांक अपील 1379–दो/13 में पारित आदेश दिनांक 24.4.14 के पैरा –2 में प्रकरण कमांक निगरानी 607–तीन/10 त्रुटि वश टाइप हो गया है। अतः पैरा –2 में निगरानी 607–तीन/10 के स्थान पर प्रकरण कमांक अपील 1379–दो/13 किया जावे। 2– आवेदक अधिवक्ता का निवेदन स्वीकार किया जाता है तथा पैरा –2 में निगरानी 607–तीन/10 के स्थान पर प्रकरण कमांक अपील 1379–दो/13 पढ़ा जावे। यह आदेश पत्रिका आदेश का मूल अंग मानी जावेगी। सदस्य	